समाहरणालय मधेपुरा।
(जिला आपूर्ति शाखा)
आदेश

सरकार के उप सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार पटना के पत्रांक–4190/खाद्य दिनांक–09.07.2014 द्वारा माह जुलाई 2014 के लिए किरासन तेल का मासिक आवंटन प्राप्त हुआ है। विभागीय पत्रांक–1682/खाद्य,दिनांक–27.03.2008 एवं पत्रांक–1842/खाद्य,दिनांक–08.03.2011 में दिए गए मार्ग–दर्शन के अनुरूप उपलब्ध कराये गये किरासन तेल की मात्रा के अन्तर्गत उपभोक्ताओं के बीच नियमानुकूल वितरण कराना है। वर्त्तमान आवंटनादेश में ग्रामीण क्षेत्र में बी0पी0एल0 एवं ए0पी0एल0 परिवारों को 2.750 (दो लीटर सात सौ पचास मिलीलीटर) की दर से तथा शहरी क्षेत्र के परिवारों को प्रति परिवार 2.225 (दो लीटर दो सौ पच्चीस मिलीलीटर) लीटर किरासन तेल कूपन के आधार पर आपूर्ति की जानी है। इसके अतिरिक्त एकरूपता को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक ठेला भेण्डर को 750.00 (सात सौ पचास) लीटर किरासन तेल की आपूर्ति किया जाना है।

अतः सरकार के उप सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार पटना के पत्रांक–4190/खाद्य दिनांक–09.07.2014 द्वारा माह जुलाई 2014 के लिए मधेपुरा जिला हेतु प्राप्त आवंटन को निम्नांकित विवरणी के अनुरूप प्रखण्डवार एवं अनुभाजन क्षेत्रवार/थोक विक्रेतावार उपावंटित किया जाता है :-

क्र0	प्रखण्ड अनुभाजन क्षेत्र का नाम	2001 के आधार पर जनसंख्या	माह मई 14 के प्रपत्र IX के आधार पर बी0 पी0एल0/ए0 पी0 एल0 परिवारों की संख्या	उपावंटित किरासन तेल की मात्रा (ली में) ज0वि0प्र0वि/हॉकर	सम्बद्ध थोक किरासन तेल विक्रेता का नाम	थोक विक्रेतावार उपावंटित किरासन तेल की मात्रा (ली0में)
01	02	03	04	05	06	07
01	मधेपुरा प्रखण्ड	149589	48492	ज0वि0प्र0– 133353.00 हॉकर (6X750) 4500.000 कुल– 137853.000	1.मे0 मोतीलाल रामस्वरूप,मुरलीगंज 2.मे0 चामुण्ड ऑयल एजेन्सी उदाकिशुनगंज	133353.000 4500.000 कुल– 137853.000
02	नगर परिषद, मधेपुरा	45031	10775	ज0 वि0 प्र0–24243.75 हॉकर (25X750) 18750.00 सरकारी संस्था– 4879.000 कुल– 47872.750	1.मे0 चामुण्ड ऑयल एजेन्सी उदाकिशुनगंज	कुल– 47872.750
03	सिंहेश्वर प्रखण्ड	102086	32125	ज0वि0प्र0– 88343.75 हॉकर (6X750) 4500.000 पुलिस अधीक्षक– 850.000 कुल– 93693.750	1.मे0 शिव शक्ति एजेन्सी सिंहेश्वर	कुल– 93693.75
04	शंकरपुर प्रखण्ड	82519	28466	ज0वि0प्र0–78281.500	1.मे0 शिव शक्ति एजेन्सी सिंहेश्वर 2.मे0 जय बजरंग एजेन्सी कुमारखण्ड	44803.000 33478.500 कुल– 78281.500
05	गम्हरिया प्रखण्ड	65125	19455	ज0वि0प्र0– 53501.250	1.मे0 शिव शक्ति एजेन्सी सिंहेश्वर	कुल– 53501.250
06	घैलाढ़ प्रखण्ड	73129	22298	ज0 वि0 प्र0–64913.75 हॉकर (6X750) 4500.000 कुल– 69413.750	1.मे0 चामुण्ड ऑयल एजेन्सी उदाकिशुनगंज	कुल– 69413.750
07	मुरलीगंज प्रखण्ड	141212	43476	ज0वि0प्र0 119609.00 सरकारी संस्था– 50.000 कुल–119609.000	1.मे0 मोतीलाल रामस्वरूप,मुरलीगंज 2.मे0 श्यामा स्टो बिहारीगंज।	88756.750 30852.250 कुल– 119609.000

08	मुरलीगंज नगर पं0	222936	6617	ज0वि0 प्र0-14888.250 हॉकर (20X750)15000.000 कुल- 29888.250	1.मे0 मोतीलाल रामस्वरूप,मुरलीगंज	कुल- 29888.250
09	कुमारखण्ड प्रखण्ड	187643	52181	ज0वि0प्र0- 143497.750 हॉकर (1X750) 750.000 कुल-144247.750	1.मे0 जय बजरंग एजेन्सी कुमारखण्ड।	कुल- 144247.750
10	उदाकिशुनगंज प्रखंड	136937	38146	ज0वि0प्र0- 104901.500 हॉकर (16X750) 12000.00 कुल- 116901.500	1.मे0चामुण्डे ऑयल एजेन्सी उदाकिशुनगंज	कुल- 116901.500
11	ग्वालपाड़ा	95295	25061	ज0 वि0 प्र0-68917.750 हॉकर (4X750) 3000.00 कुल- 71917.750	1.मे0 श्यामा स्टोर, बिहारीगंज	कुल- 71917.750
12	बिहारीगंज	101655	29656	ज0वि0प्र0- 81554.00 हॉकर (29X750) 21750.00 कुल-103304.000	1.में0 श्यामा स्टोर, बिहारीगंज	कुल- 103304.000
13	आलमनगर	129226	38483	ज0वि0प्र0- 105828.250 हॉकर (7X750) 5250.000 कुल 111078.250	1.में0शंभूनाथ चौधरी आलमनगर	कुल- 111078.250
14	चौसा प्रखंड	116471	32037	ज0 वि0 प्र0-88101.750 हॉकर (2X750) 1500.000 कुल- 89601.750	1.में0शंभूनाथ चौधरी आलमनगर	कुल- 89601.750
15	पुरैनी प्रखंड	77792	20302	ज0 वि0 प्र0-55830.500 हॉकर (2X750) 1500.000 कुल- 57330.500	1.में श्यामा स्टोर, बिहारीगंज 2.में0शंभूनाथ चौधरी आलमनगर	33922.500 33408.000 कुल- 57330.500
कुलयोग		1526646	447570	1324533.25		

2. इस प्रकार जिले में वितरण हेतु उपलब्ध-112टैंकर (112X12000)=1344000ली0+समायोजित-0.00 =1344000 ली0 किरासन तेल को प्रखंडवार/ अनुभाजन क्षेत्रवार उपवांटन किया गया है।

3. विभागीय निदेश के अनुपालन में ग्रामीण एवं सुदूर थानों में रोशनी के लिए उपवांटित किरासन तेल कुल 850 ली0 एवं पुलिस अधीक्षक मधेपुरा के पत्रांक-5514/सा0 प्र0 दिनांक-11.11.2009 से प्राप्त अनुरोध के आलोक में आवंटित 850 ली0 किरासन तेल को पुलिस अधीक्षक मधेपुरा के आदेश से वितरण किया जाय। पुलिस अधीक्षक मधेपुरा से अनुरोध है कि वे संबंधित थौक किरासन तेल विक्रेता मेसर्स चामुण्डे ऑयल एजेन्सी थोक किरासन तेल विक्रेता उदाकिशुनगंज को उचित मूल्य भुगतान कर किरासन तेल प्राप्त कर नियमानुकूल उपयोग सुनिश्चित करेगें।

4. जिला सुरक्षित में आवंटित 4929 लीटर किरासन तेल को निम्न विवरणी के अनुरूप संस्थानवार उपवांटित किया जाता है:-

1. अधीक्षक मंडलकारा, मधेपुरा -250 लीटर मेसर्स चामुण्डे ऑयल एजेन्सी,उदाकिशुनगंज।
2. सदर अस्पताल -100 लीटर मेसर्स चामुण्डे ऑयल एजेन्सी,उदाकिशुनगंज।
3. कोषागार+गार्ड मधेपुरा -40 लीटर लीटर मेसर्स चामुण्डे ऑयल एजेन्सी,उदाकिशुनगंज।
4. बी0 एन0 मंडल,वि0 वि0 मधेपुरा -1000 लीटर मेसर्स चामुण्डे ऑयल एजेन्सी,उदाकिशुनगंज।
5. व्यवहार न्यायालय मधेपुरा -1000 लीटर मेसर्स चामुण्डे ऑयल एजेन्सी,उदाकिशुनगंज।
6. समाहरणालय मधेपुरा
(जिला मुख्यालय स्थित संलग्न कार्यालय सहित) -1639 लीटर मेसर्स चामुण्डे ऑयल एजेन्सी,उदाकिशुनगंज।
7. पुलिस अधीक्षक -850 लीटर मेसर्स चामुण्डे ऑयल एजेन्सी,उदाकिशुनगंज।
8. आवा0अनु0जाति वि0भोकराहा(स्थानान्तरित,मुरलीगंज)50 लीटर मेसर्स मोतीलाल रामस्वरूप मुरलीगंज।

योग- 4929 लीटर

उपर्युक्त कंडिका 04 में निर्धारित कोटे के अनुसार किरासन तेल उठाव संबंधित संस्थान के प्रधान के द्वारा संबंधित थोक विक्रेता को उचित मूल्य भुगतान करने के उपरान्त किया जाएेगा एवं सभी संस्थान के प्रधान वितरण के पश्चात् अगले माह की 5वीं0 तिथि तक उपयोगिता प्रमाण पत्र जिला आपूर्ति शाखा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें। समाहरणालय मधेपुरा / अनुमंडल कार्यालय मधेपुरा / अल्लसंख्यक कल्याण छात्रावास/ कल्याण छात्रावास मधेपुरा हेतु आवंटित किरासन तेल का मासिक उपयोगिता प्रमाण पत्र नगर परिषद मधेपुरा के प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा, मंडल कारा को उपावंटित किरासन तेल का उपयोगिता प्रमाण पत्र अधीक्षक, मंडल कारा, मधेपुरा द्वारा सदर अस्पताल, मधेपुरा हेतु उपावंटित किरासन तेल का उपयोगिता प्रमाण पत्र अधीक्षक, सदर अस्पताल मधेपुरा द्वारा कोषागार+गार्ड हेतु उपावंटित किरासन तेल का उपयोगिता प्रमाण पत्र कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा बी0एन0मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा हेतु उपावंटित किरासन तेल का उपयोगिता प्रमाण पत्र कुल सचिव, बी0एन0 मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा द्वारा व्यवहार न्यायालय, मधेपुरा हेतु उपावंटित किरासन तेल का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रभारी न्यायाधीश, व्यवहार न्यायालय, मधेपुरा द्वारा सुदूरवर्त्ती थानों में रोशनी की व्यवस्था एवं आरक्षी बलो के लिए आवंटित किरासन तेल का उपयोगिता प्रमाण पत्र पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा द्वारा एवं आवासीय **विद्यालय, मुरलीगंज** हेतु आवंटित किरासन तेल का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, मुरलीगंज द्वारा प्रत्येक माह समर्पित किया जायेगा।

5. सरकार के अपर सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार पटना के पत्रांक–4190/खाद्य दिनांक–09.7.2014 से प्राप्त निदेश के ही अनुरूप हॉकरों के लिए आवंटित किरासन तेल का वितरण जिले में लगने वाले हॉट/बाजार में स्थानीय प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/प्रखण्ड आपूर्ति निरीक्षक एवं निगरानी समिति की देख रेख में अनुमोदित सूची / संस्था के अनुसार अनुमोदित वितरण स्थल पर ही किया जायेगा एवं तत्संबंधी वितरण पंजी का विधिवत संघारण किया जायेगा। अद्योहस्ताक्षरी के आदेश के बिना वितरण स्थल में फेरबदल नहीं किया जाऐगा। **इस संबंध में किसी भी अनियमितता की संपूर्ण जवाबदेही संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी की होगी।** सभी संबंधित प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि वितरण के पश्चात् अगले माह की 5वी0 तिथि तक उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं प्रपत्र-IX अनुमंडल पदाधिकारी से अनुमोदित कराकर जिला आपूर्ति शाखा, मधेपुरा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें। अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा / उदाकिशुनगंज को निदेश दिया जाता है कि प्रत्येक माह की 5वी0 तिथि तक विगत माह से संबंधित किरासन तेल वितरण का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं अगले माह के उपावंटन हेतु प्रपत्र IX तैयार कर उपलब्ध नहीं कराने वाले प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी / आपूर्ति निरीक्षक के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई हेतु प्रस्ताव प्रपत्र ''क'' में तैसार कर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगे।

6. खाद्य आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पत्रांक–1871,दिनांक–13.07.2005 के अनुसार किरासन तेल की प्रत्येक टैंक लौरी को थौक विक्रेता के यहाॅ पहुॅचने पर थोक किरासन तेल विक्रेताओं को संबंधित प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को सूचना देनी है। सूचना के पश्चात प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के द्वारा टैंक लौरी का भौतिक सत्यापन किया जाना है और

उसके बाद ही टैंक लौरी को थौक किरासन तेल विक्रेता के टैंक में ऑफलोड किया जाना है। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को इस आशय का प्रमाण पत्र थौक किरासन तेल विक्रेताओं के भंडार पंजी में दर्ज करना है।

सरकार के उक्त आदेश का अनुपालन प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा नहीं किया जा रहा है। और यदि किया जा भी रहा है तो मात्र औपचारिकता की जा रही है। अतः सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि उन्हे ज्योंही टैंक लौरी आने की सूचना मिलती है, तो प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी मोबाईल संदेश के द्वारा इसकी सूचना संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी,जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं अपर समाहर्त्ता (आपदा) (वरीय पदाधिकारी आपूर्ति) को देगें और इसके पश्चात थौक विक्रेता के यहाॅ पहुॅचकर उसका भौतिक सत्यापन करेगें। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को यह भी निदेश दिया जाता है कि सरकार के निदेश के आलोक में पंचायतवार रोस्टर तैयार करेगें और रोस्टर के

12. संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि वे किरासन तेल का नियमानुसार उठाव एवं वितरण अपने सीधे नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में कराना सुनिश्चित करते हुए संलग्न विहित प्रपत्र में उठाव एवं वितरण से संबंधित वांछित प्रतिवेदन माह के अन्त में जिला आपूर्ति कार्यालय, मधेपुरा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

ह0/-
जिलाधिकारी
मधेपुरा।

ज्ञापांक 270 आ0, मधेपुरा दिनांक 15.07-2014

प्रतिलिपि- सभी थौक किरासन तेल विक्रेता, मधेपुरा जिला/संबंधित सभी संस्थानों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी/आपूर्ति निरीक्षक मधेपुरा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं सूचनापट पर प्रकाशनार्थ हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- अनुमंडल पदाधिकारी मधेपुरा/उदाकिशुनगंज को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- पुलिस अधीक्षक मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- उपनिदेशक, खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति, कोशी प्रमंडल, सहरसा एवं सरकार के उप सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता

संरक्षण विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/07/14

जिलाधिकारी
मधेपुरा।